हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 नवम्बर, 2008

संख्या 115 /ह0अ0 6/2003/धा0 60/2008 .–– हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 60 की उप–धारा (3) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 7/ह0अ0 6/2003/धा0 60/2008, दिनांक 11 नवम्बर, 2008, के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा मूल्य वर्धित कर (तृतीय संशोधन) नियम, 2008, कहे जा सकते हैं ।

2. हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 में, नियम 69 में उप नियम (6) के बाद, अन्त में निम्नलिखित पैरा रखा जायेगा तथा 6 जून, 2005 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :–

"(6 क) (i) पिछड़े क्षेत्रों में पनपने वाली मेगा इकाइयां ब्याज मुक्त ऋण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के बाद प्रतिदेय वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण में ऐसे माल के विक्रय पर भुगतान किए गए मूल्य वर्धित कर के 50 प्रतिशत के सम्परिवर्तन का लाभ प्राप्त करने का हकदार होंगी;

(ii) ब्याज मुक्त ऋण को प्रदान करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के बाद प्रतिदेय वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए उसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने हेतु पिछड़े क्षेत्रों में पनपने वाली लघु उद्योग इकाइयां;

(iii) ब्याज मुक्त ऋण को प्रदान करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के बाद प्रतिदेय वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण में मूल्य वर्धित कर के 75 प्रतिशत सम्परिवर्तन के उसी प्रकार के लाभ प्राप्त करने हेतु राज्य में किसी भी जगह पनपने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां;

(iv) इण्डियन आयॅल कॉरपोरेशन लिमिटेड की डाऊन स्ट्रीम इन्डस्ट्रीज पैट्रो कैमिकल हॅब के भाग रूप में स्थापित किए जाने वाले इन्डस्ट्रियल पार्क में स्थापित की जाएगी, ब्याज मुक्त ऋण को प्रदान करने की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के बाद प्रतिदेय वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण में उत्पादित माल के विक्रय पर भुगतान किए गए मूल्य वर्धित कर के 50 % के सम्परिवर्तन के लाभ को प्राप्त करने का हकदार होगी।

व्याख्या :– ब्याज मुक्त ऋण की मात्रा प्लांट तथा मशीनरी के सिवाय, राज्य के भीतर उपभोग के लिए विनिर्मित माल के केवल अन्तर्राज्यिक विक्रय के संबंध में हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 के अधीन आबकारी तथा कराधान विभाग में दायर की गई विवरणियों सहित वास्तव में भुगतान किए गए कर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। राज्य के भीतर अन्य माल के विनिर्माण करने में कच्ची सामग्री के रूप में ऐसे माल का प्रयोग राज्य के भीतर उपभोग के रूप में नहीं माना जाएगा।"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।